



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

{ Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.4(0)परावि/आप्र/डीपीसी/15/431

जयपुर, दिनांक: 27/4/2015


::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला राजसमन्द के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	श्री प्रवेश कुमार	अध्यक्ष	-
2.	श्री नन्दलाल सिंघवी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्रीमती टीना खटीक	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री मदन लाल भील	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्रीमती रानु भील	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्री लाल चन्द बोहरा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्रीमती सफलता गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्री महिपाल सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्री मंगलसिंह चौधरी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्री गोपाल सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्री नरेन्द्र सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्रीमती त्रिफला कुंवर चौहान	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्रीमती कृष्णा सोनी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती नीतू असावा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्रीमती लक्ष्मी गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्रीमती चंचल श्रीमाली	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
17.	सुश्री मंजु देवी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
18.	श्रीमती उषा खण्डेलवाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
19.	श्रीदौलत सिंह चुण्डावत	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)


जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य हैं। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा/विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं। शहरी क्षेत्र में सदस्यों के निर्वाचन के उपरान्त संशोधित आदेश किये जायेंगे।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1.विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
- 4.निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
- 5.जिला कलेक्टर, जिला राजसमन्द।
- 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द।
- 7.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द।
- 8.मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला राजसमन्द को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।


संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना